राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः–F9(विविध) परि / RTA / मु / 2009 / 43573 जयपुर, दिनांक 26/2/14

कार्यालय आदेश संख्या–07 / 2014

विषयः– परिवहन सेवा से वंचित ग्राम पंचायत मुख्यालयों को जोडने हेतु नवीन मार्गो के स्पष्ट एवं औचित्यपूर्ण सर्वेक्षण प्रतिवेदन एवं प्रस्ताव प्रेषित करने के संबंध में।

परिवहन सेवा से वंचित ग्राम पंचायत मुख्यालयों को परिवहन सेवा उपलब्ध कराने की राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना की क्रियान्विति हेतु समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों को नवीन मार्गो के निर्धारण किए जाने की दृष्टि से प्रस्ताव तैयार कर सर्वेक्षण प्रतिवेदन एवं नक्शे के साथ मुख्यालय भिजवाने हेतु समय–समय पर निर्देशित किया जाता रहा है।

इस संबंध में प्राप्त प्रस्तावों एवं प्रस्तावों के आधार पर खोले गए अनेक मार्गो के विरूद्ध विभिन्न वर्तमान संचालित निजी मार्गो के अनुज्ञाधारियों एवं संगठनों द्वारा मुख्यालय में आपतियाँ प्रस्तुत की गई है जिनमें मुख्य रूप से वर्तमान संचालित निजी मार्गो के अत्यधिक एवं अनावश्यक प्रतिच्छाद की आपति उल्लेखित की गई है।

राज्य सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना के अन्तर्गत मार्गो का निर्धारण केवल परिवहन सेवा से वंचित ग्राम पंचायत मुख्यालयों को परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ही किया जाना निर्णित किया गया है लेकिन इस तथ्य को नजर अदांज करते हुए परिवहन सेवा से जुडे हुए पंचायत मुख्यालयों को भी नवीन प्रस्तावित मार्गो में सम्मिलित करते हुए अधिकांश प्रस्ताव प्रेषित किए गए है तथा प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर औचित्यविहीन मार्ग खोले गए हैं जिन पर आपत्तियाँ प्राप्त होना स्वाभाविक है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि ग्रामीण परिवहन सेवा योजना के अन्तर्गत वर्तमान में जिन ग्राम पंचायत मुख्यालयों में बसें संचालित हो रही हैं उनको योजना मार्गो से बाहर रखते हुए शेष ग्राम पंचायत मुख्यालयो को ही सम्मिलित करते हुए सूक्ष्मतम मार्गो के प्रस्ताव तैयार किये जाएं। साथ ही इस योजना के तहत अब तक खोले गये मार्गो का उपरोक्तानुसार रिव्यू किया जाकर संशोधित मार्गो के प्रस्ताव भिजवाये जाएं।

इसके अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों द्वारा प्रेषित किए जा रहे अधिकांश प्रस्ताव अस्पष्ट एवं अपूर्ण होने के कारण मुख्यालय स्तर पर अनावश्यक परिश्रम एवं पत्राचार करना पड़ता है एवं प्रकरण लम्बित रहते हैं। मार्गो के सर्वेक्षण एवं प्रस्ताव से संबंधित इस कार्यालय द्वारा पूर्व में आदेश संख्या 10/98 दिनांक 20.5.1998, 46/2004 दिनांक 27.9.2004, 11/2006 दिनांक 14.7.2006 एवं 9/2008 दिनांक 23.4.2008 जारी किए जाकर प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों/जिला परिवहन अधिकारियां को प्रक्रिया संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश प्रसारित किए गए थे परन्तु उक्त आदेशों के द्वारा एवं समय–समय पर दिए गए अन्य निर्देशो के उपरान्त भी परिवहन कार्यालयों से अस्पष्ट, अपूर्ण एवं बिना औचित्य के प्रस्ताव भिजवा दिए जाते है।

अतः परिवहन सेवा से वंचित समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों को परिवहन सेवा उपलब्ध कराने की राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना की उचित क्रियान्विति तथा मार्गो के प्रस्ताव तैयार कर मुख्यालय भिजवाने की प्रक्रिया के संबंध में पूर्व प्रसारित निर्देशों की निरतरता में पुनः निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है:-

1. ग्रामीण परिवहन सेवा योजना के तहत मार्ग का निर्धारण केवल परिवहन सेवा से वंचित ग्राम पंचायत मुख्यालयों को परिवहन सेवा से जोड़ने के उद्देश्य से ही किया जाएं।
2. जिन ग्राम पंचायत मुख्यालयों को पूर्व संचालित मार्गो (निजी या निगम बस सेवा मार्ग) से परिवहन सेवा उपलब्ध हो रही हो उन पंचायत मुख्यालयों अथवा ग्रामों को नवीन मार्ग में सम्मिलित करते हुए प्रस्ताव नहीं भिजवाये जाएं।
3. नवीन मार्ग का निर्धारण सूक्ष्मतम दूरी के मार्गो द्वारा परिवहन सेवा से वंचित ग्राम पंचायतों को जोड़ने हेतु किया जाए एवं तदनुसार ही प्रस्ताव भिजवाये जाएं।
4. प्रस्ताव पूर्व निर्धारित 15 कॉलम के प्रारूप में ही भिजवाये जाए। प्रारूप के सभी कॉलम्स में अपेक्षित सूचना, सही तरीके से पूर्ण एवं स्पष्ट अंकित की जाए। उपखण्ड, तहसील, पंचायत समिति, नगरपालिका, कृषि मण्डी, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल के कॉलम्स में "हॉ" अथवा "नहीं" अंकित किया जाए। मार्ग के दोनो सिर एवं बीच के ग्रामों के परिप्रेक्ष्य में मार्ग की श्रेणी (राजस्थान मोटर यान नियम 1990 में यथा परिभाषित) निर्धारित कर स्पष्ट रूप से अंकित की जाए। प्रारूप के फुट नोट में प्रस्तावित मार्ग की श्रेणी के संबंध में प्रमाणीकरण एवं प्रस्तावित मार्ग में स्थित ग्राम पंचायत मुख्यालयों के नाम आवश्यक रूप से अंकित किए जाए।
5. प्रस्तावित मार्ग पर वर्तमान संचालित निजी एवं राष्ट्रीयकृत मार्गो द्वारा होने वाले प्रतिच्छाद की समुचित सूचना स्पष्ट रूप से निर्धारित कॉलम में अंकित की जाए। प्रतिच्छाद किस बिन्दु से किस बिन्दु तक, कितने किलोमीटर, किस वर्तमान संचालित मार्ग द्वारा अथवा राष्ट्रीयकरण स्कीम द्वारा होगा तथा उनकी (वर्तमान मार्ग/राष्ट्रीयकरण स्कीम की) कुल लम्बाई क्या है, का पूर्ण विवरण अंकित किया जाए।
6. सामन्यतया सर्वेक्षण प्रतिवेदन में "नये गॉव सम्मिलित किए जाने का विवरण" के कॉलम में सूचना अंकित नहीं की जाती है अथवा मार्ग के समस्त ग्रामों के नाम अंकित कर दिए जाते है। यह प्रक्रिया उचित नही है, उक्त कॉलम में उन ग्रामों, ग्राम पंचायत मुख्यालयों का नाम आवश्यक रूप से अंकित किया जाए जो अब तक परिवहन सेवा से वंचित थे तथा अब प्रथम बार प्रस्तावित मार्ग द्वारा परिवहन सुविधा प्राप्त करेंगे।
7. सामान्यतया सर्वेक्षण प्रतिवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले मार्ग के नजरी नक्शे में केवल मात्र एक लाईन से मार्ग को दर्शा दिया जाता है, इस प्रकार के नक्शे से प्रस्तावित मार्ग के आसपास के कस्बे, शहर, अन्य मार्ग, राष्ट्रीयकृत मार्ग आदि की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है जबकि नक्शे का उद्धेश्य ही प्रस्तावित मार्ग की वस्तुस्थिति की सम्पूर्ण जानकारी प्रदर्शित करने का है। अतः प्रस्तावों के साथ एक लाईन के नजरी नक्शे के स्थान पर प्रस्तावित मार्ग एवं आसपास के क्षेत्र को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रसारित रोड मेप पर भिन्न-भिन्न रंगों द्वारा प्रदर्शित/हाईलाईट किया जाकर प्रेषित किया जाए। रोड मेप ब्लू प्रिन्ट पर नवीन प्रस्तावित मार्ग को नीले रंग से, वर्तमान निजी मार्ग को हरे रंग से एवं राष्ट्रीयकृत माग को लाल रंग से अंकित किया जाए। वृद्धिकरण/कटौती/डाईवर्जन को नीले बिन्दुओं की लाईन

(dotted line) से प्रदर्शित किया जाए। मुख्य कस्बे/शहरों को वर्गाकार/चौकोर तथा ग्राम पंचायत मुख्यालयों को त्रिभुज/तिकोने निशान से चमकीले पीले (Fluorescent yellow) रंग से अंकित किया जाए।

8. अधिकांश प्रकरणों में प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों द्वारा जिला परिवहन अधिकारी से प्राप्त सर्वेक्षण प्रतिवेदनों को केवल मात्र अग्रिम कार्यवाही हेतु लिख कर मुख्यालय को अग्रेषित कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया उचित नहीं है, प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रस्तावों/सर्वेक्षण प्रतिवेदनों का अपने स्तर पर पूर्ण रूपेण परीक्षण करें एवं प्रस्ताव के संबंध में संक्षिप्त नोट के जरिये मार्ग निर्धारण का औचित्य/आवश्यकता, जन सुविधा, जनहित, राज्यहित, मार्ग की श्रेणी, ओवरलेपिंग आदि के संबंध में स्पष्ट एवं तथ्यात्मक टिप्पणी अंकित करते हुए स्पष्ट अनुशंसा के साथ ही मुख्यालय को प्रेषित करें।

9. संचालित मार्गों के वृद्धिकरण/कटौती/डाईवर्जन के प्रस्तावों में संचालित मार्ग के सम्पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तावित वृद्धिकरण/कटौती/डाईवर्जन की स्वीकृति से पडने वाले प्रभाव, यथा कटौती वाले भाग पर उपलब्ध सेवायें, वृद्धिकरण वाले भाग पर अन्य मार्ग के वाहनों से प्रतिस्पर्धा आदि का विवरण आवश्यक रूप से उल्लेखित किया जाए। संचालित मार्ग में परिवर्तन के प्रस्ताव मार्ग के समस्त अनुज्ञाधारियों की प्रार्थना पर ही प्रेषित किए जाने अपेक्षित है अन्यथा मार्ग परिवर्तन के स्थान पर अनुज्ञापत्र में परिवर्तन हेतु प्रकरण सदस्य प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार को प्रेषित किए जाए।

10. नवीन नगरीय मार्ग खोलने अथवा संचालित नगरीय मार्गों के परिवर्तन संबंधित प्रस्ताव मुख्यालय में प्रेषित करने से पूर्व संबंधित जिला यातायात प्रबंधन समिति के समक्ष रख कर अनुमोदित कराये जाए तथा समिति की अनुशंसा के साथ मुख्यालय को प्रेषित किया जाए।

11. केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार जिन शहरों में स्कोप निर्धारित किए जाने आवश्यक है उनसे संबंधित नवीन मार्गों के प्रस्तावों के साथ स्कोप निर्धारण के प्रस्ताव भी यातायात प्रबंधन समिति के अनुमोदन सहित प्रेषित किए जाए जिससे मार्ग खोलने के साथ ही स्कोप निर्धारित किया जा सके एवं अविलम्ब अनुज्ञा पत्र जारी हो सके।

समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त बिन्दुओं अनुसार मुख्यालय को प्रस्ताव प्रेषित किये जाएं, अस्पष्ट तथा अधूरे प्रस्तावों पर मुख्यालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे प्रस्ताव मुख्यालय को प्राप्त होने वाले प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। उक्त निर्देशों की कड़ाई से पालना की जाए।

इस क्रम में पूर्व में जारी कार्यालय आदेशों एवं निर्धारित 15 कॉलम का प्रारूप सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न किया जा रहा है।

(मुकेश शर्मा)
परिवहन आयुक्त एवं
प्रमुख शासन सचिव

सर्वेक्षण प्रतिवेदन

मार्ग का नाम मय वायाज :– ....

मार्ग की कुल लम्बाई एवं श्रेणी :– .... कि.मी. .... श्रेणी मार्ग, सर्वेक्षण करने वाले अधिकारी का नाम :– .... पद :– .... परि. जिला :–...............

क्र. सं.	प्रस्तावित मार्गो में आने वाले गाँवों के नाम	गाँवों की बीच दूरी व मार्ग की श्रेणी	गाँव की आबादी (लगभग)	ग्राम पंचायत मुख्यालय	तहसील मुख्यालय	उप खण्ड मुख्यालय	पंचायत समिति	नगर पालिका या नगर सुधार प्रयास	कृषि मण्डी	प्रसिद्ध धार्मिक स्थल	प्रथम बार परिवहन सेवा से जुड़ने वाले गांव	प्रस्तावित मार्ग में पड़ने वाले निजी मार्ग का प्रतिच्छाद			प्रस्तावित मार्ग में पड़ने वाले राष्ट्रीयकृत मार्ग का प्रतिच्छाद			अन्य विवरण कोई हो तो
												मार्ग का नाम	कहां से कहां तक	दूरी व श्रेणी	मार्ग का नाम	कहां से कहां तक	दूरी व श्रेणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13A	13B	13C	14A	14B	14C	15

1. प्रस्तावित मार्ग खोलने के संबंध में यदि कोई आपत्ति प्राप्त हुई तो आपत्ति के संबंध में तथ्यात्मक टिप्पणी। (मूल आपत्ति पत्र संलग्न की जाए।)

2. प्रस्तावित मार्ग खोलने की आवश्यकता एवं मार्ग खोलने के लिए (संदर्भ) मय आवेदन पत्र का विवरण। (मूल आवेदन पत्र संलग्न किया जाए।)

3. प्रस्तावित मार्ग की श्रेणी का प्रमाण पत्रः–

   राजस्थान मोटर यान नियम 1990 में दी गयी मार्गों की परिभाषा के अनुसार प्रस्तावित मार्ग .... (नगरीय/उप–नगरीय/ग्रामीण/अन्य). श्रेणी का प्रमाणित किया जाता है।

4. प्रस्तावित मार्ग से संबंधित रोड मैप (ब्लयू प्रिन्ट) संलग्न है जिसमें राष्ट्रीयकृत एवं निजी संचालित मार्गो को अलग–अलग रंगो से दर्शाया गया है जिला परिवहन अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है।

हस्ताक्षर
जिला परिवहन अधिकारी

हस्ताक्षर
परिवहन निरीक्षक/उप निरीक्षक

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : एफ 9 (35) परि/आटीए/88 जयपुर, दिनांक : 27.09.2004

कार्यालय आदेश संख्या 46/2004

गत समय में यात्री परिवहन हेतु निजी मार्गों का वर्गीकरण 'अ', 'ब' एवं 'स' श्रेणी के अनुसार किया जाता रहा है, जिसमें राष्ट्रीयकृत योजना मार्गो पर प्रतिच्छाद की छूट की तत्समय राष्ट्रीयकृत योजना में अंकित प्रावधाननुसार स्वीकृत की जाती थी।

अब राजस्थान मोटर यान नियम 2004 (द्वितीय संशोधन) बनाये जाकर अधिसूचना क्रमांक एफ 6 (261) परि/कर/मु./2004 दिनांक 14.09.2004 जारी की जा चुकी है। इस अधिसूचना के माध्यम से गैर अधिसूचना मार्ग की निम्नानुसार श्रेणियां बनायी जाकर परिभाषित की गयी है –

1. उप नगरीय मार्ग
2. ग्रामीण मार्ग
3. अनन्य रूप से नगरपालिका या नगर सुधार न्यास या दोनों के क्षेत्र में पड़ने वाला मार्ग
4. अन्य मार्ग

उक्त अधिसूचना के अतिरिक्त अन्य अधिसूचना क्रमांक एफ 6 (261) परि/टैक्स/एच क्यू/2004 दिनांक 14.09.2004 के राष्ट्रीयकृत योजनाओं में उपान्तर कर निजी वाहन स्वामियों के वाहन किराये या पारिश्रमिक के लिये चलाने की अनुज्ञा सम्बन्धी व्यवस्था की गयी है। इस अधिसूचना में संभागीय मुख्यालय जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा व अजमेर तथा जिला मुख्यालय अलवर व भीलवाड़ा पर पड़ने वाले उपनगरीय मार्गो पर मंजिली वाहनों को अनुज्ञा-पत्र दिये जाने की भी व्यवस्था की गयी है।

इस प्रकार पूर्व में प्रचलित समस्त निजी मार्ग अब जारी उक्त अधिसूचनाओं के अनुसार अन्य मार्ग की श्रेणी में आ गये हैं तथा अधिसूचनाओं में वर्णित उप नगरीय मार्ग व ग्रामीण मार्ग की अवधारणा पूरी से नयी प्रकृति के निजी मार्गो की सुविधा होगी। उप नगरीय मार्गों के क्रम में सम्भागीय मुख्यालयों एवं अलवर तथा भीलवाड़ा जिला मुख्यालयों से प्रस्ताव प्राप्त हो गये हैं जिनका परीक्षण कर उप नगरीय मार्ग खोले जाने की कार्यवाही की जा रही है। ग्रामीण मार्गो के सम्बन्ध में अब अभियान स्तर पर सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्यवाही की जाएगी जिसमें स्थानीय प्रतिनिधियों, राजस्व विभाग से सम्बन्धित अधिकारी व कर्मचारियों तथा स्थानीय बस आपरेटर्स यूनियन के सहयोग से अधिक से अधिक प्रस्ताव अगले 15 दिवस में तैयार किये जाकर पूर्व में प्रचलित 15 कालम्स के प्रोफार्मा में मार्गो के सर्वे में

विभिन्न ग्रामों की दूरी, 'अ, ब, स श्रेणी' में दर्शाने के स्थान पर अब डामरीकृत भाग को 'पक्का' एवं ग्रेवल तथा कच्चे भाग को 'कच्चा' अंकन कर दर्शाया जावे।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि बड़े शहरों के आस पास के लोगों को सुलभ एवं सुचारू यात्री सेवा उपलब्ध करवाने हेतु उप नगरीय मार्गों के खोलने के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अपने बजट भाषण में घोषणा की गयी थी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी यात्री सेवाओं के विस्तार के लिये नये मार्ग खोलने व अधिकाधिक वाहनों के संचालन को सुनिश्चित करने सम्बन्धी घोषणा महामहिम राजयपाल महोदय द्वारा अपने अभिभाषण में गई है अतः बजट भाषण व अभिभाषण में की गयी घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए आपके स्तर पर उप नगरीय मार्गों एवं ग्रामीण मार्गों के प्रस्ताव तैयार करने सम्बन्धी कार्यवाही त्वरित रूप से की जानी आवश्यक है जिससे कि बजट भाषण व अभिभाषण में की गयी घोषणाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

परिवहन आयुक्त

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

: एफ 7 (35) परि/आर.टी.ए./88/10661 जयपुर, दिनांक : 14/07/2006

कार्यालय आदेश 11/2006

विषय : विभिन्न श्रेणियों के मार्गों के अस्पष्ट एवं अधूरे प्रस्ताव तैयार कर भेजने बावत।

1. माननीया मुख्यमंत्री महोदया के बजट भाषण 2006-07 के बिन्दु संख्या 110, 172 एवं 173 में अंकित घोषणा की क्रियान्विति ीण श्रेणी एवं उप नगरीय मार्गों के वैकासिक प्रासंगिकता के परिपेक्ष्य में पुनरीक्षणोपरांत जनता को अधिकाधिक परिवहन सुविधा ध कराने की दृष्टि से अधिकाधिक मार्गों को खोला जाकर बस सेवा उपलब्ध कराने के लिए घोषणा की गई है तथा माननीय यातायात ाहोदय द्वारा भी अधिकाधिक मार्ग खोलने हेतु निर्देश प्रदान कर समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

2. सभी संभागों के प्रादेशिक परिवहन परिवहन अधिकारी एवं जिला परिवहन अधिकारियों को समय-समय पर निर्देशित किये ्वं प्रत्येक मुख्यालय मीटिंगों में निर्देश दिये जाने के उपरांत भी विभिन्न मार्गों को खोले जाने के प्रस्ताव अस्पष्ट एवं अधूरे प्रेषित ाते है जिसके कारण मुख्यालय स्तर से अनावश्यक पत्राचार करना पड़ता है एवं प्रकरण अपेक्षित जवाब प्राप्त नहीं होने के कारण े समय तक लम्बित रहते हैं।

3. ग्रामीण मार्ग को राजस्थान मोटर वाहन नियम 1990 के नियम 1.2 (न) में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया हुआ है। उक्त संदर्भ ः निर्देशित किया जाता है कि प्रस्ताव को संशोधित 15 कॉलम प्रपत्र में भेजा जावे तथा सभी कॉलम सही तरीके से भरे जावें। प्रत्येक के लिए स्पष्ट रूप से भरा जावे कि वह स्थान उपखण्ड, तहसील/उप तहसील/पंचायत समिति/नगरपालिका/कृषि मंडी प्रसिद्ध क स्थल "है" अथवा "नहीं"। साथ ही मार्ग के दोनों सिरे किस श्रेणी में आते है एवं मार्ग पर होने वाले प्रतिच्छाद संबंधी जानकारी ाष्ट रूप से कॉलम में भरी जावे। प्रस्तावित मार्ग के नक्शे में मार्ग के सभी वायाज को दिखाया जाए तथा उस पर होने वाले निजी ्वं राष्ट्रीयकृत मार्ग के प्रतिच्छाद को अलग- अलग रंगों में दर्शाया जावे। प्रस्तावित मार्ग के पास से निकलने वाले राष्ट्रीयकृत मार्ग थति को आवश्यक रूप से नक्शे में अंकित की जावे।

4. प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों द्वारा जिला परिवहन अधिकारी से प्राप्त मार्ग खोलने के नवीन प्रस्तावों को केवल मात्र अग्रिम ाही हेतु लिखकर मुख्यालय को प्रेषित कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया उचित नहीं है। वे इस प्रकार के प्रस्तावों को अपने स्तर ांच कर अपनी स्पष्ट अनुशंसा के साथ ही मुख्यालय को प्रेषित करें। इससे मुख्यालय को अनावश्यक रूप से पत्राचार नहीं करना ा, जिससे कार्य में विलम्ब नहीं होगा।

5. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि अब ऐसे अस्पष्ट तथा अधूरे प्रस्ताव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

दिनांक : 20.5.98

क्रमांक : एफ-9 (35) आर टी ए परि.88/13

कार्यालय आदेश संख्या 10/98

इस कार्यालय द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या 20/1996 दिनांक 16.7.96 के अधिक्रमण में नवीन मार्ग खोले जाने के क्रम में यह निर्देश प्रसारित किये जा रहे हैं। सभी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी इस आदेश के अन्तर्गत पूर्ण परीक्षण करने के पश्चात् ही नवीन मार्ग खोले जाने के क्रम में प्रस्ताव उपशासन सचिव (मुख्यालय) को प्रेषित करेंगे। तात्कालिक रूप से प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों को नये मार्ग खोलने के सम्बन्ध में प्राप्त आवेदन एवं दिनांक 7 जून, 98 तक प्राप्त नये आवेदनों के मार्गों का सर्वे दिनांक 30 जून तक कराया जाकर प्रस्ताव इस कार्यालय को भिजवायें।

नवीन मार्ग खोलने के प्रस्ताव पर त्वरित निर्णय लेने के परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि अधीनस्थ स्तर से प्रस्ताव के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं पूर्ण सूचना अंकित करने के पश्चात् ही प्रस्ताव मुख्यालय को अपनी अनुशंषा के साथ अग्रेषित किये जावेंगे।:

1. प्रस्तावित मार्ग की श्रेणी सहित कुल दूरी।
2. प्रस्तावित मार्ग पर पड़ने वाले गांवों की आबादी, गांवों की विशिष्टता, स्कूल, पंचायत समिति, मुख्यालय इत्यादि का विवरण।
3. प्रस्तावित मार्ग पर अन्य मार्गों के प्रतिच्छाद का विवरण व प्रतिच्छादित मार्ग पर संचालित सेवाओं का विवरण (किस बिन्दु से किस बिन्दु तक प्रतिच्छाद करता है, स्पष्ट उल्लेख करें।)
4. मार्ग पर पड़ने वाले राष्ट्रीयकृत मार्ग के भाग का पूर्ण विवरण मय राष्ट्रीयकृत योजना के मार्ग की कुल दूरी।
5. मार्ग का नक्शा जिसमें राष्ट्रीयकृत योजनाओं एवं निजी मार्गों के प्रतिच्छादों को अलग-अलग रंग से स्पष्ट दर्शाया जावे।
6. नये मार्ग खोलने के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्ति प्राप्त हुई तो आपत्ति के सम्बन्ध में तथ्यात्मक टिप्पणी।
7. मार्ग खोलने की आवश्यकता।

नवीन मार्ग खोले जाने के सम्बन्ध में जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होते हैं; उन्हें प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय में संधारित पंजिका में इन्द्राज किया जाकर एसे प्रस्तावों के सम्बन्ध में उक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये पूर्ण सूचनाओं के साथ प्रस्ताव प्रादेशिक परिवहन अधिकारी के माध्यम से भिजवाये जावेंगे। नवीन मार्ग खोले जाने के प्रस्ताव आवेदन पत्र प्रस्तुतीकरण के दिनांक से एक माह की अवधि के अन्दर मुख्यालय को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। यदि इस अवधि के

बाद कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किये जावें तो उसमें विलम्ब के कारण स्पष्ट रूप से अंकित किये जावे अन्यथा सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

परिवहन आयुक्त

प्रतिलिपि:-

1. उपशासन सचिव (मु.) परिवहन विभाग, जयपुर।
2. सदस्य, राज्य परिवहन अपीलीय प्राधिकरण, जयपुर।
3. सदस्य, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, जयपुर।
4. सदस्य, राज्य परिवहन प्राधिकार, जयपुर।
5. अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा./यो.वि.)
6. प्रबन्ध निदेशक, रा.रा.प.प. निगम, जयपुर।
7. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
8. समस्त जिला परिवहन अधिकारी।
9. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त
10. रक्षित पत्रावली/मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण।

उप परिवहन आयुक्त (नियम)

राजस्थान सरकार

परिवहन विभाग

क्रमांक : एफ.9(11)(iv)परि/आरटीए/मु./[illegible] जयपुर, दिनांक [illegible]

<u>कार्यालय आदेश 9/2006</u>

विषय : विभिन्न श्रेणियों के मार्गों के अस्पष्ट एवं अधूरे प्रस्ताव तैयार कर भेजने बाबत।

उपरोक्त परिपेक्ष्य मय पूर्व में विभागीय आदेश संख्या 11/2006 दिनांक 14.07.2006 द्वारा प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालयों द्वारा प्रेषित विभिन्न श्रेणी के मार्ग संबंधी प्रस्तावों में आ रही कठिनाईयों को दूर करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। परन्तु उक्त कार्यालय आदेश तथा समय-समय पर दिये गये निर्देशों के उपरान्त भी परिवहन कार्यालयों से अस्पष्ट तथा अपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं जिसके कारण मुख्यालय स्तर से अनावश्यक पत्राचार करना पड़ता है एवं अपेक्षित जवाब प्राप्त नहीं होने के कारण प्रकरण लम्बित रहते हैं तथा उनका निस्तारण नहीं हो पाता है। अतः विभिन्न श्रेणी के मार्गों की वैकासिक प्रासंगिकता के परिपेक्ष्य में राज्य सरकार की जनता को अधिकाधिक परिवहन सुवधि उपलब्ध कराने की नीति की अनुपालना में पुनः निम्न निर्देश दिये जाते हैं :-

1 प्रस्ताव राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1990 के नियम 1.2 (न) में दी गयी परिभाषा के पूर्णतः अनुरूप होना चाहिए।

2. प्रस्ताव को संशोधित 15 कॉलम प्रपत्र में भेजा जावे तथा सभी कॉलम सही तरीके से भरे जावे। प्रत्येक स्थान के लिए स्पष्ट रूप से भरा जावे कि वह स्थान खण्ड/तहसील/उप तहसील/पंचायत समिति/नगर पालिका/कृषि मण्डी/प्रसिद्ध धार्मिक स्थल "है" अथवा "नहीं" साथ ही मार्ग के दोनों सिरे किस श्रेणी में आते हैं एवं मार्ग पर होने वाले प्रतिच्छादन संबंधी जानकारी भी स्पष्ट रूप से कॉलम में भरी जावे।

3. प्रस्तावित मार्ग के नक्शे राष्ट्रीयकृत मार्ग के प्रतिच्छाद को अलग-अलग रंगों में दर्शाया जावे। प्रस्तावित मार्ग के पास से निकलने वाले राष्ट्रीयकृत मार्ग की स्थिति को आवश्यक रूप से नक्शों में अंकित की जावे।

4. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी द्वारा जिला परिवहन अधिकारी से प्राप्त मार्ग खोलने के नवीन प्रस्तावों को केवल मात्र अग्रिम कार्यवाही हेतु लिखकर मुख्यालय को प्रेषित कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया उचित नहीं है। वे इस प्रकार के प्रस्तावों को अपने स्तर पर जांच कर अपनी स्पष्ट अनुशंसा के साथ ही मुख्यालय को प्रेषित करें।

5. किसी भी श्रेणी के मार्ग संबंधी प्रस्ताव को परिभाषा के अनुरूप पूर्ण होने की स्थिति में ही प्रेषित करें।

6. मार्ग में संशोधन / डाईवर्जन संबंधी प्रस्ताव सम्पूर्ण तथ्यों, कारणों / आधारों तथा अपनी स्पष्ट अनुशंषा के साथ ही भेजना सुनिश्चित करें।

समस्त प्रादेशिक / जिला परिवहन अधिकारियों को पुनः निर्देशित किया जाता हैं कि उपरोक्त निर्देशों की पालना नहीं कर के अस्पष्ट तथा अधूरे प्रस्ताव मुख्यालय को प्राप्त होने की स्थिति में प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारी / कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(जगदीश चन्द्र)
परिवहन आयुक्त
एवं पदेन शासन सचिव

8239--40 / 23.04.2008

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैं :—

1. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
2. समस्त जिला परिवहन अधिकारी।
3. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।

अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.)